समय / तिथिबद्ध
अतिआवश्यक / वैबसाईट

प्रेषकः

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चण्डीगढ।

प्रेषितः

1. सभी अधिष्ठता अधिकारी, श्रम न्यायालय,हरियाणा राज्य।
2. संयुक्त श्रम आयुक्त (प्रशा0) मुख्यालय।
3. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (एन0सी0आर0), गुरूग्राम।
4. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय।
5. अतिरिक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, मुख्यलाय।
6. संयुक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय।
7. संयुक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य,मुख्यालय, गुरुग्राम, पानीपत व फरीदाबाद।
8. सभी उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
9. सभी उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
10. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
11. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
12. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (केमिकल), हरियाणा राज्य।
13. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
14. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
15. कल्याण अधिकारी (महिला), पानीपत व फरीदाबाद।
16. सभी उप अधीक्षक, मुख्यालय।

स्था0 / 05 / 2024 / 6374-525 दिनांकः 01/03/24

विषयः– **विभागीय पहचान पत्र मुख्यालय में जमा करवाने बारे।**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयोक्त मामले में आपको सूचित किया जाता है कि श्रम विभाग, हरियाणा द्वारा उच्च गुणवता आधारित नये विभागीय पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। इसलिये आप सभी से अनुरोध किया जाता हैं कि आप अपना व अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों के मूल विभागीय पहचान पत्र दिनांक 04.03.2024 को सांय 5.00 बजे तक दस्ती / दिशेषवाहक अधिकारियों / कर्मचारियों की सूचि सहित मुख्यालय की स्थापना शाखा में भिजवाना सुनिश्चित करें।

सभी अधिकारियों को यह भी सूचित किया जाता है कि भविष्य में जब भी किसी अधिकारी / कर्मचारी की सेवानिवृति होती है, तो उसका मूल पहचान पत्र जमा करवाने उपरांत ही एन0ओ0सी0 जारी करें तथा मुख्यालय में जमा करवायें।

इसके अतिरिक्त आपकों यह भी अवगत करवाया जाता है कि भविष्य में यदि किसी भी अधिकारी / कर्मचारी द्वारा अपना विभागीय पहचान पत्र मूल रूप में जमा नहीं करवाया जाता है तथा उन द्वारा अपने पुराने पहचान पत्र का उपयोग किया गया तो उसके विरूद्व विभागीय कार्यवाही अमल में ला दी जायेगी।

कृप्या इसे परम अग्रता देवें।

सहायक श्रम आयुक्त (मु0)
कृतेः श्रम आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ।